न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/3995/2004/नागौर</u>

1– चूनाराम पुत्र श्री गोरधनराम मृतक जरिए वारिसान–
1/1– पताशी बेवा स्व0 चूनाराम
1/2– रामदेव पुत्र स्व0 चूनाराम
1/3– रामनिवास पुत्र स्व0 चूनाराम
1/4– आशाराम पुत्र स्व0 चूनाराम
1/5– गणपतराम पुत्र स्व0 चूनाराम
1/6– अर्जुनराम पुत्र स्व0 चूनाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण आकेली बी तहसील डेगाना जिला नागौर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना जिला नागौर
2– जिला कलक्टर नागौर तहसील जिला नागौर

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य

उपस्थित–
श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय
दिनांक 31.01.2025

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या–59/2003 बउनवान चूनाराम बनाम सरकार में पारित एवं डिक्री निर्णय दिनांक 13–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थीगण के पूर्वज चूनाराम ने प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट् सरकार के विरूद्ध एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आकेली बी तहसील डेगाना मे स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 294 रकबा 47 बीघा 4 बिस्वा भूमि मे से रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा पर अपीलार्थीगण/वादीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त कदीमी चला आने के कारण व तत्कालीन जोधपुर सरकार के तहसीलदार जी मेडता द्वारा वादी के स्वर्गीय पिता गोरधन पुत्र नवला को बापीपट्टा दिनांक 28–1–1950 को जारी किया गया। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव मे आने के पूर्व ही उक्त भूमि पर वादी के पिता स्व0 गोरधन राम को मारवाड टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। इसके बावजूद उक्त आराजी मुतनाजा को राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ कब्जा मौका एवं राज्य सरकार के खातेदारी मे दर्ज कर दी, जिसको दुरूस्त किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सरकार ने वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर 05 तनकीयात् कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 09–02–2004 से वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध वादी/अपीलार्थी राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–09–2004 से खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमों में वर्णित तर्को की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त पुश्तैनी तौर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने की दिनांक से निरंतर चला आ रहा है और अपीलांट वादी के पिता गोरधनराम को जरिए बापीदारपट्टा दिनांक 28–01–1950 को जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में बापीदारपटटा में दी गयी भूमि को सिवायचक दर्ज नहीं किए जा सकने एवं आराजी

जैर पर संवत् 2012 से पूर्व काबिज काश्त होने के आधार पर अपीलार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आने से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि पर बाई आपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के मुश्तहक थे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि में उपलब्ध उपचार के विपरीत जाकर अपीलार्थीगण का वादपत्र व अपील को खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए–

1. 1996 आरआरडी पेज 535
2. 2008 आरबीजे पेज 41
3. 2003 आरबीजे पेज 205
4. 1987 आरआरडी पेज 202
5. 2001 आरआरटी(1) पेज 244

5– विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का कब्जा विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसीयत से ही रहा है, जो समय–समय पर बेदखल होता रहा है। बाजीपट्टा दिनांक 28–01–1950 बी+1 गैरमुमकिन लिखा हुआ है। गैरमुमकिन भूमि को आवंटन का प्रावधान नहीं है। सरकारी भूमि पर काबिज होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है और यदि न्यायालय अतिक्रमियों को खातेदारी देती है तो अतिक्रमण की घटनाएं बढेगी। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निर्णय पारित किये गये है जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड, पारित निर्णयों एवं न्यायिक दृष्टांतों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7– पत्रावली एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पूर्वज चूनाराम ने सरकार के विरूद्ध एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 तहत ग्राम आकेली बी तहसील डेगाना मे स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 294 रकबा 47 बीघा 4 बिस्वा भूमि मे से रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा पर अपीलांट/वादी का पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं तत्कालीन जोधपुर सरकार के तहसीलदार जी मेडता द्वारा वादी के स्वर्गीय पिता गोरधन पुत्र नवला को बापीदार पट्टा दिनांक

28–1–1950 को जारी होने एवं आराजी जैर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की दिनांक से काबिज काश्त होने के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 09–02–2004 से वादी का वाद खारिज कर दिया तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13–09–2004 से अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी।

8– प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की दिनांक से निरन्तर कब्जा काश्त होने की स्थिति में बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुश्तहक रहे है ?

इसी प्रकार अन्य विचारणीय प्रश्न यह है कि आराजी जैर के बाबत् वादी के स्वर्गीय पिता गोरधन पुत्र नवला को बापीदार पट्टा दिनांक 28–1–1950 को जारी किये जाने के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नहीं ?

9– प्रकरण में जहाँ तक वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की दिनांक अर्थात् संवत् 2012 से निरन्तर आराजी जैर पर कब्जे काश्त का प्रश्न है, उक्त तथ्य के निर्धारण हेतु विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 कायम की गई। जिसके आधार पर अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त को साबित करना था। उक्त तनकीयात् के संबंध में अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना निरन्तर कब्जा काश्त को दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से साबित करने में असफल रहे है तथा प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थीगण को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस जारी करते हुए प्रतिवर्ष बेदखली की कार्यवाही भी की जाती रही है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्यों से जाहिर है कि आराजी जैर पर अपीलार्थीगण का निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा काश्त नहीं रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 जिसके तहत ऐसे काश्तकारों को जोकि उक्त अधिनियम के लागू होने की दिनांक को बतौर काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहे हो, तथा उनका कब्जा निरन्तर रहा हो, को खातेदारी अधिकर प्रदत्त करने के प्रावधान निहित किये गये है, प्रकरण में चूंकि अपीलार्थीगण आराजी जैर पर दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में निरन्तर काबिज काश्त होने के कथन को

साबित करने में असफल रहने से अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर By Virtue of Law खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुश्तहक नहीं पाये जाते है।

10– प्रकरण में अन्य विचारणीय प्रश्न कि क्या आराजी जैर के बाबत् अपीलार्थीगण गोरधन पुत्र नवला को बापीदार पट्टा दिनांक 28–1–1950 को जारी किये जाने के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नहीं? के संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न बापीदार पट्टे का अवलोकन किया। उक्त पट्टा दिनांक 28–01–1950 को जारी किया जाना जाहिर है, परन्तु उक्त पट्टे के कॉलम संख्या– 6 में आराजी जैर की किस्म को दर्शित करते हुए किस्म बी–+1 गैरमुमकिन अंकित है। विधिक प्रावधानों के अनुसरण में गैरमुमकिन भूमि के आवंटन के प्रावधान निहित नहीं होने से आराजी जैर शुद्ध रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं होने से अपीलाथीगण उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है।

इस प्रकार दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए वाद एवं अपील को समवर्ती निर्णयों से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण हस्तगत् प्रकरण में अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करते है।

11– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

12– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या – 59/2003 बउनवान चूनाराम बनाम सरकार में पारित एवं डिक्री निर्णय दिनांक 13–08–2004 तथा उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा मूल वाद संख्या 97/1992 बउनवानी चूनाराम बनाम जिला कलक्टर व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–02–2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष